वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

57

प्रस्तावना

5.1यद्यपि भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई एकसमान तथा व्यापक मजदूरी नीति नहीं है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी का निर्धारण तथा उनके प्रवर्तन के लिए तंत्र विद्यमान हैं। संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच बातचीत तथा आपसी समझ्ाौते के आधार पर किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में, जहां अशिक्षा के कारण और प्रभावी सौदेकारी के अभाव में श्रम का शोषण किया जा सकता है, वहां केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनी अपनी अधिकारिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं। अधिनियम, नियोäाओं को समय-समय पर ऐसी निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी कर्मकारों को अदा करने के लिए बाध्य करता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
5.2 आठवीं स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों पर कतिपय रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी को निर्धारण करने की व्यवस्था करने के लिए 11.4.1946 को केन्द्रीय विधायी परिषद में न्यूनतम मजदूरी विधेयक पेश किया गया। न्यूनतम मजदूरी विधेयक भारतीय डोमिनियन विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया गया तथा 15 मार्च, 1948 से प्रवृत्त हुआ। अधिनियम के तहत अधिनियम की अनुसूची में शामिल रोजगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए राज्य तथा केन्द दोनों सरकार समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी दरों में, विशेष भत्ता अर्थात् परिवर्ती महंगाई भत्ता जो उपभोäा मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है, भी शामिल है, जिसमें अप्रैल तथा अäूबर में अर्थात् वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार तथा छब्बीस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भी परिवर्ती महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के

एक घटक के रूप में अंगीकृत कर लिया है। केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्याप्त रोजगारों के लिए अकुशल कर्मकारों के संबंध में निर्धारित/संशोधित मजदूरी की दरें सारणी 5.1 में दर्शाई गई हैं।

राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी
5.3 1985 में आयोजित 28वें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय मूल निर्वाह मजदूरी स्तर को बढ़ाया जाए और उससे कम मजदूरी निर्धारित न की जाए चाहे कार्य प्रकृतिए नियोजन प्रकृति तथा अन्य कारक अलग-अलग ही क्यों न हो। एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के न होने के कारण केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी आरंभ की। शुरूआत में मई 1996 में इसे 35 रुपये प्रतिदिन पर निर्धारित किया गया जो कि 1991 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों तथा मूल्य-स्तर में अनुवर्ती वृद्धिपर आधारित था औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोäा मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 1.8.1996 में राष्ट्रीय फ्लोर स्तर को न्यूनतम मजदूरी 40 रुपये प्रतिदिन 1.12.1999 से 45 रुपये 1.9.2002 से 50/-रुपये, 1.2.2004 से 66/- प्रतिदिन और 1.9.2007 से 80/-रुपये प्रतिदिन कर दी है। राष्ट्रीय फ्लोर स्तर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन एक गैर-सांविधिक उपाय है। अतः राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने हेतु संशोधन करने का अनुरोध किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जा सके ताकि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी 80/-रुपये प्रतिदिन की
राष्ट्रीय फ्लोर स्तर न्यूनतम मजदूरी से कम न
हो।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन
5.4 यू पी ए सरकार फार्म में कार्य करने वाले
श्रमिकों और कामगारों खासकर असंगठित क्षेत्र

मजदूरी 5

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

58

में, कल्याण तथा भलाई में वृद्धि करने एवं श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों को पूर्णतः कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्व है। केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से किया जाता है। केऔ.सं.तं (सी आई आर एम) द्वारा प्रवर्तन के मामलों की स्थिति सारणी 5.2 में दर्शाई गयी है।
5.5 राज्य क्षेत्र में राज्य औद्योगिक संबंध
तंत्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का प्रवर्तन सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन की मॉनीटरिंग की प्रगति रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को पुनः प्रेषित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी जा रही है। विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वर्ष 2005- 2006 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन की स्थिति सारणी 5.3 में दर्शायी गई है।
5.6 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को
पिछली बार वर्ष 1946 में संशोधित किया गया था और कुछ संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं। जिन पर 9 और 10 दिसम्बर, 2005 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 40वें सत्र में चर्चा की गई थी। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रीय न्यूनतम साझ्ाा कार्यक्रम में अधिदेश के अनुसार मतैक्य लाने के उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में आगे विचार-विमर्श किया जायेगा।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
5.7 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 को
उद्योग में नियोजित कर्मकारों की मजदूरों की अदायगी को विनियमित करने तथा उनके लिए अवैध कटौतियों तथा/अथवा मजदूरी की अदायगी में अनुचित देरी के विरूद्ध एक त्वरित एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

के अंतर्गत मजदूरी सीमा 1982 में 1600/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। अधिनियम की अनुप्रयोज्यता के लिए मजदूरी की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 6500/- रुपये प्रतिमाह करने तथा भविष्य में अधिसूचना के माध्यम से उच्चतम सीमा में वृद्धि करने तथा दांडिक उपबंधों आदि में बढ़ोत्तरी करने के लिए केन्द्र सरकार को शfä प्रदान करने के लिए मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005; जिसे संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया था, विधि एवं न्याय मंत्रालय की 6.9.2005 को 2005 के अधिनियम 41 के रूप में अधिसूचित कर दिया है। तत्पश्चात् श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सां.आ. 1577 (अ) द्वारा मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005 को 9 नवम्बर, 2005 से प्रभावी होने की अधिसूचना जारी की है। केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (6) में प्रदत्त शfäयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोäा व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर मजदूरी की अधिकतम सीमा दिनांक 8 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या सां.आ.1380 (अ) द्वारा पुनः बढ़ाकर 10,000/- रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है।

वेतन बोर्ड

5.8 1950 और 1960 के दशक में जब संगठित श्रम क्षेत्र पर्याप्त संघवाद या बिना पर्याप्त सौदेकारिता शfä वाले श्रमिक संघों के बगैर अपने विकास की आरम्भिक अवस्था में था तब सरकार ने मजदूरी निर्धारण के क्षेत्र में उठने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वेतन बोर्डों का गठन किया था। वेतन बोर्ड त्रिपक्षीय स्वरूप के होते हैं जिनमें कामगारों, नियोäाओं के प्रतिनिधि और स्वतंत्र सदस्य भाग लेते हैं और सिफारिशों को अंतिम रूप देते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे बोर्डों की उपयोगिता और योगदान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र तथा

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

59

समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों के अलावा, जो सांविधिक वेतन बोर्ड हैं, अन्य सभी वेतन बोर्ड गैर सांविधिक स्वरूप के हैं। 5.9 राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि किसी भी उद्योग के कामगारों के लिए मजदूरी दरों के निर्धारण हेतु किसी भी वेतन बोर्ड, सांविधिक या अन्यथा, की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, सरकार ने सांविधिक वेतन बोर्डों अर्थात् श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1965 के अधीन श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों के गठन के संबंध में इसकी सिफारिशों को स्वीकार न करने का निर्णय लिया था ।

समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्ड

5.10 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में श्रमजीवी पत्रकार, समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 9 और 13 ग में अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः श्रमजीवी पत्रकारों समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की दरें निर्धारित या संशोधित करने के लिए दो मजदूरी बोर्डों के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार मजदूरी बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैः
ÿ समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले
तीन व्यfäः

ÿ अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मजदूरी बोर्ड के लिए कर्यरत पत्रकारों के 3 प्रतिनिधि और धारा 13 ग के अंतर्गत मजदूरी बोर्ड के लिए गैर-पत्रकार समाचार

पत्र के कर्मचारियों के 3 प्रतिनिधि
ÿ चार निर्दलीय व्यfä, जिनमें से एक व्यfä उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय
का न्यायाधीश होना चाहिए और जिसे मजदूरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरकार
द्वारा नियुä किया जाना चाहिए।

5.11 अधिनियम में वेतन बोर्डों के गठन हेतु अवधियों का उल्लेख नहीं है। ऐसे कर्मचारियों हेतु वर्ष 1956, 1963, 1975, 1985 और 1994 में वेतन बोर्डों का गठन किया गया था । पूर्ववर्ती वेतन बोर्ड अर्थात् मणिसाना वेतन बोर्डों का गठन 1994 में किया गया था । उनकी रिपोर्टें सरकार को 25 जुलाई, 2000 को प्रस्तुत की गई थीं। सरकार ने बोर्डों की सिफारिशों की जांच करने के बाद कुछ छोटे-मोटे संशोधनों के साथ उन्हें स्वीकार करने का निर्णय लिया था। 5.12 सरकार ने भारत के राजपत्र (असाधारण) सां.आ.संख्या 809(अ) और 810(अ) दिनांक 24.5.2007 में अधिसूचना द्वारा श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1965 की धारा क्रमशः 9 और 13 ग के अंतर्गत अब दो नए वेतन बोर्डों एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड का गठन किया है। वेतन बोर्डों को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्षों का समय दिया गया है। डा. न्यायमूर्ति के. नारायणा कुरुप जो केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैंए इन वेतन बोर्डों के अध्यक्ष होंगे । इसके अतिरिä दो साझ्ाा स्वतंत्र सदस्यों के साथ-साथ एक साझ्ाा पूर्णकालिक सदस्य सचिव तथा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वेतन बोर्ड के लिए समाचार प्रतिष्ठानों के संबंध में नियोäओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 व्यfäयों, श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 व्यfäयों

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

60

तथा अधिनियम की धारा 13ग के अंतर्गत गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यfäयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965
5.13 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में 20
अथवा अधिक व्यfäयों के किसी कारखाने एवं प्रतिष्ठान में नियोजित होने पर कर्मचारियों को बोनस के भुगतान की व्यवस्था है।
5.14 इस अधिनियम की धारा 31-क के अंतर्गत
प्रत्येक उद्योग एवं प्रतिष्ठान द्वारा देय न्यूनतम बोनस 8.33ः है। इस अधिनियम की धारा 31 क के अंतर्गत किसी लेखा वर्ष में उत्पादकता जुड़ा बोनस सहित अधिकतम बोनस 20ः से अधिक नहीं दिया जा सकता।
5.15 वर्तमान में किसी उद्योग में अनुबंध में
करार पर या पारिश्रमिक पर कुशल या अकुशल शरीरिक, पर्यवेक्षीय, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए अधिकतम 3500/- प्रतिमाह तक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी बोनस के भुगतान के पात्र हैं। पात्रता की सीमा और गणना की अधिकतम सीमा में अधिनियम की धारा 2 के खंड 13 और धारा 12 के अंतर्गत पिछली बार वर्ष 1995 में क्रमशः 2500/- से बढ़ाकर 3500/-रुपये प्रतिमाह और 1600/- से बढ़ाकर 2500/-रुपये प्रतिमाह का संशोधन किया गया था और 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी किया गया था।

5.16 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने बोनस की पात्रता और गणना निर्धारित करने के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा की वर्तमान प्रणाली
को उपयुä रूप से बढ़ाते हुए क्रमशः 7500/-रुपये प्रतिमाह और 3500/-रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। इस मुद्दे को

2005 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 40वें सत्र में चर्चा हेतु उठाया गया था।

5.17 पात्रता/गणना की अधिकतम सीमा के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिश और बाद के घटनाक्रमों पर विचार करते हुए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधनों पर नई दिल्ली् में 27-28 अप्रैल, 2007 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 41वें सत्र में पुनः चर्चा की गयी थी। पात्रता सीमा को 3500/-रुपये से बढ़ाकर 10,000/-रुपये प्रतिमाह करने और गणना की अधिकतम सीमा को 2500/-रुपये बढ़ाकर 3500/-रुपये करने पर आम सहमति हुई थी। इसके साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि भवन निर्माण प्रचालनों में ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के दायरे में लाया जाए।

5.18 तदनुसार, पात्रता की सीमा 3500/- रुपये से बढ़ाकर 10,000/-रुपये प्रतिमाह तथा गणना की अधिकतम सीमा 2500/-रुपये से बढ़ाकर 3500/-रुपये प्रतिमाह करते हुए तथा भवन निर्माण प्रचालनों में ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियमए 1965 के दायरे में लाने हेतु धारा 32 के खण्ड ;अपद्ध को समाप्त करने के लिए 27 अäूबर, 2007 को बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 प्रख्यापित किया गया है। 5.19 समाविष्ट किए गए संशोधनों को प्रभावी करने के लिए बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 की संख्या 8) के स्थान पर बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 संसद के दोनों सदनों अर्थात् 27 नवम्बर, 2007 को लोक सभा में और 3 दिसम्बर, 2007 को राज्य सभा में पारित किया गया है।

| | | सारजी 5.1 |
|---|---|---|
| भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्य जेत्रों में अजुशल जामजारों जे लिए -यू-ातम मजदूरी | | |
| ज्रम संज्या | राज्य/संघ राज्य जेत्र | -यू-ातम मजदूरी प्रतिदि-ा (रुपयों में) |
| | जे-द्रीय जेत्र | |
| | राज्य/संघ शासित जेत्र | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 45.00-128.00 |
| 2. | अरूजाचल प्रदेश | 55.00-57.00 |
| 3. | असम | 48.00-97.00 |
| 4. | बिहार | 66.00-75.00 |
| 5. | छत्तीसजढ़ | 52.87-79.13 |
| 6. | जोवा | 75.00-94.00 |
| 7. | जुजरात | 50.00-99.00 |
| 8. | हरियाजा | 94.00-95.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 70.00 |
| 10. | जम्मू और जश्मीर | 66.00 |
| 11. | झारजंड | 50.06-77.57 |
| 12. | ज-ार्टज | 63.00-103.00 |
| 13. | जेरल | 72.00-189.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 61.37-94.13 |
| 15. | महाराष्ट्र | 45.00-155.22 |
| 16. | मजिपुर | 69.55-72.40 |
| 17. | मेधालय | 70.00 |
| 18. | मिजोरम | 91.00 |
| 19. | -ाजालैज्ड | 66.00-70.00 |
| 20. | उड़ीसा | 55.00 |
| 21. | पंजाब | 90.44-94.24 |
| 22. | राजस्था-ा | 73.00-82.00 |
| 23. | सिक्जिम | 85.00 |
| 24. | तमिल-ााडु | 54.44-150.00 |
| 25. | त्रिपुरा | 51.35-65.77 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 58.00-104.41 |
| 27. | उत्तरांचल | 61.61-97.00 |
| 28. | पश्चिम बंजाल | 64.22-125.00 |
| 29. | अडंमा-ा और -िाजोबार | 100.00-107.00 |
| 30. | चंडीजढ़ | 114.00 |
| 31. | दादरा और -ाजर हवेली | 91.00 |
| 32. | दम-ा और दीव | 80.00 |
| 33. | दिल्ली | 127.38 |
| 34. | लजद्वीप | 70.00 |
| 35. | पांडिचेरी | 45.00-124.00 |

**सारजी 5.2**

**जे-द्रीय औद्योजिज संबंध तंत्र (सी आई आर एम) द्वारा वर्ष 2005-2006 जे दौरा-ा मजदूरी जा-ूनों जे उपबंधों जा प्रवर्त-ा**

| ज्र म संज्या | अधिनियम जा -ााम | | जिए जए निरीजजों जी संज्या | परिशोधित अनियमितताएं | चलाए जए अभियोज-ा | जित-ो दोष सिद्ध जिए जए | दायर जिए जए दावे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 | | | | | | |
| | i) | जा-ें | 3084 | 47805 | 1410 | 1261 | 9 |
| | ii) | रेलवे | 1082 | 7178 | 13 | 0 | 0 |
| | iii) | हवाई परिवह-ा | 118 | 770 | 22 | 18 | 0 |
| 2. | -यू-ातम मजदूरी अधिनियम, 1948 | | 12392 | 140307 | 4620 | 4616 | 2208 |

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

64

सारणी 5.4
मणिसाना वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतुराज्य स्तर पर मॉनीटरिंग समिति का गठन और तिमाही प्रगति रिपोर्टकी वर्तमान स्थिति दर्शाती हुई राज्यवार विवरणी ;31.12.2005 की स्थिति के अनुसारद्ध
क्रम
संख्या

राज्यध्संघ राज्य
क्षेत्र

तिमाही
प्रगति

रिपोर्ट

प्रतिष्ठानों
की संख्या

जिन्होंने कार्यान्वित किया है त्रिपक्षीय
समिति गठित

कार्यान्वयन
प्रकोष्ठ

पूर्णतः आंशिक नहीं किया
01ण् आंध्र प्रदेश 05/05 37 8 29 . 0 .
02ण् असम 09/04 91 6 2 83 03.04.2002 1
03ण् अरूणाचल प्रदेश 09/05 6 . . 6 26.04.2004 .
04ण् बिहार 09/05 7 6 . 1 19.06.2002 .
05ण् छत्तीसगढ़ 9/03 4 1 . 3 25.03.2003 .
06ण् गोवा 09/05 7 6 1 . 25.09.2002 .
07ण् गुजरात 09/05 19 16 . 3 29.01.2003 .
08ण् हरियाणा प्राप्त नहीं . . . . . .
09ण् हिमाचल प्रदेश 12/03 22 . 16 6 17.04.2004 .
10ण् जम्मू और कश्मीर 12/03 62 . 62 . . .
11ण् झ्ाारखंड प्राप्त नहीं . . . . . .
12ण् कर्नाटक् 12/04 103 17 28 58 07.04.2003 .
13ण् केरल 12/04 46 5 6 35 14.03.2001 .
14ण् मध्य प्रदेश 09/04 126 35 10 81 . .
15ण् मणिपुर प्राप्त नहीं . . . . . .
16ण् महाराष्ट्र 12/04 136 114 . 22 22.02.2002 .
17ण् मेघालय लागू नहीं . . . . // .
18ण् मिजोरम लागू नहीं . . . . / .
19ण् नागालैण्ड लागू नहीं . . . . // .
20ण् उड़ीसा 12/04 19 7 5 7 17.11.2001 1
21ण् पंजाब 12/04 10 7 . 3 . .
22ण् राजस्थान 3/03 ’243 5 1 237 04.04.2001 .
23ण् सिक्किम लागू नहीं . . . . / .
24ण् तमिलनाडु 06/05 90 85 1 4 21.08.2003 .
25ण् त्रिपुरा 09/04 18 . . 18 ल्मे .
26ण् उत्तर प्रदेश 03/04 260 67 1 192 20.09.2001 .
27ण् उत्तरांचल 09/05 ़149 4 . 145 ल्मे .
28. if'Pke caxky izkIr ugha - - - - 24.04.2003 -
29ण् अंडमानएवं
निकोबार दीव
समूह

लागू नहीं . . . . //

30ण् चंड़ीगढ़ 09/05 3 . . 3 . .
31ण् दिल्ली 6/05 36 28 . 8 06.05.2003 .
32ण् दमन और दीव लागू नहीं . . . . // .
33ण् दादरा और नगर
हवेली

लागू नहीं . . . . / .

34ण् लक्षद्वीव लागू नहीं . . . . // .
35ण् पांडिचेरी 09/05 13 6 . 7 . .
योग 1507 423 162 922

207 प्रतिष्ठानों मेंएक व्यfä कार्यरत है।़ 143 प्रतिष्ठानों मेंएक व्यfä कार्यरत है।
/ः इन राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों में सिफारिशें लागू नहीं हैं क्योंकि समाचार पत्र प्रतिष्ठान अत्यंत छोटे हैं।
//: इन राज्यों ध्संघ राज्य क्षेत्रों में कोई समाचार पत्र प्रतिष्ठान नहीं है।